कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण)
बी–192,आवास विकास कालोनी, हरदोई।
दूरभाष सं0 05852–223112, eehardoi@yahoo.com

जल सारथी

पत्रांक : 4792/ वि-3 / 49 दिनांक 08 /09 /2026

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण),
उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण),
लखनऊ।

विषयः– दिनांक 08.09.2026 को समाचार पत्र हिन्दुस्तान में ''पानी की टंकियों के अवशेष कार्य को जल्द पूरा करायें'', शीर्षक से प्रकाशित खबर के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दिनांक 08.09.2026 को समाचार पत्र हिन्दुस्तान में ''पानी की टंकियों के अवशेष कार्य को जल्द पूरा करायें'', शीर्षक से प्रकाशित खबर का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें।

महोदय उक्त के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है, जनपद हरदोई में जल जीवन मिशन फेज–2 एवं फेज–3 के अन्तर्गत कुल 834 नग ग्रामीण पेयजल योजनायें निर्माणाधीन है, जिसके अन्तर्गत 1865 राजस्व ग्राम सम्मिलित है। वर्तमान में योजनाओं पर प्रगति की अद्यतन स्थिति निम्नवत है।

क्रम सं0	प्रस्तावित कार्य का विवरण	प्रस्तावित मात्रा	अद्यतन प्रगति	टिप्पणी
1	नलकूप	853 नग	853 नग	–
2	पम्प हाउस	853 नग	848 नग	कार्य प्रगति पर
3	अवर जलाशय	840 नग	676 नग	कार्य प्रगति पर
4	पाइप लाइन	14341 किमी0	13924 किमी0	कार्य प्रगति पर
5	पेयजल गृह संयोजन	589152 नग	578777 नग	कार्य प्रगति पर
6	नियमित जलापूर्ति	1865 ग्राम	1590 नग	कार्य प्रगति पर

वर्तमान में 1590 राजस्व ग्राम जो कि 779 पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत आते है, मे अवर जलाशय अथवा टयूवेल के माध्यम से नियमित जलापूर्ति की जा रही है, जिसमें से 257 परियोजनायें पूर्ण हो चुकी है। अवशेष योजनाओं के कार्य प्रगति पर है।

भारत सरकार द्वारा ''जल जीवन मिशन'' कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत समस्त योजनाओं को पूर्ण करने की तिथि मार्च 2028 निर्धारित है। निर्धारित तिथि से पूर्व अवशेष योजनाओं को पूर्ण करा कर पेयजलापूर्ति सुनिश्चित की जायेगी।

अतः उपरोक्तानुसार आख्या अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय

(मनीष गंगवार)
अधिशासी अभियन्ता

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
2. जिला सूचना अधिकारी, हरदोई।
3. मै0 एन0सी0सी लि0, हरदोई को इस निर्देश के साथ कि योजनाओं के कार्यों को कराते हुए योजना क्रियाशील करना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अभियन्ता